Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 08-12-2006

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

an>

Title: Regarding not to provide reservation on religious ground in the country.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, कमजोर वर्गों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक एवं सामाजिक दृटि से पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। [r91] परन्तु संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण को सर्वथा नकार दिया था। धर्म के आधार पर आरक्षण आदि के नाम पर ही देश विभाजन की ओर अग्रसर हुआ और देश के टुकड़े हुए। हमें सावधान हो जाना चाहिए, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सच्चर रिपोर्ट को उछाल कर राट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिए केवल वोट बैंक के नाम पर देश के अन्दर कुछ राजनैतिक दल मजहब के आधार पर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, जबकि इस्लाम एवं ईसाइयत में समानता के सिद्धान्त को लागू किया गया है तथा वहां ऊंच-नीच आदि की कोई भावना नहीं है। देश की संविधान सभा द्वारा अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाई गई समिति ने मजहबी आरक्षण की सिफारिश नहीं की थी और इसका विरोध किया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. अम्बेडकर जैसे नेता इस समिति के सदस्य थे। समिति के सभापति सरदार पटेल ने 25 मई, 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सर्व-सम्मति से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण स्वीकार किया गया, लेकिन अल्पसंख्यक आरक्षण प्रस्तावित नहीं किया गया। इस तरह के आरक्षण की मांग पर बेगम अहजाज रसूल, तज्जुम हुसैन तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसे सदस्यों ने भी अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध किया।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि दलित मुस्लिम, दलित ईसाई आदि के नाम पर अथवा मजहब के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं किया जाये।